

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

राजस्व वाद पत्र संख्या 134/2018

निर्णय दिनांक 11.12.2019

सुवा कंवर पुत्री भगवन्तसिंह पत्नी रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी पांचू हाल निवासी नोखागांव तहसील नोखा जिला बीकानेर

—वादीनी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, नोखा। 2. रिसालवाई पुत्री भगवन्तसिंह पत्नी जोरसिंह जाति राजपूत निवासी पांचू हाल बाडसर वाया लालगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू

—प्रतिवादीगण

उपस्थित—

1. श्री टीकमसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीनी की तरफ से
2. श्री रामेश्वरलाल नाई, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

दावा अंतर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सहपठित दावा धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

दावा वादीनी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 के नाम की संयुक्त खातेदारी भूमि जिसके गत खसरा नम्बर क्रमशः 224, 1207/225, 1208/225, 1696/225, 2897/225 कुल रकबा 119 जिसके हाल खसरा नम्बर 1090 रकबा 7.12 है0 खसरा नम्बर 1091 रकबा 7.51 है0 खसरा नम्बर 1094 रकबा 3.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 17.98 हैक्टेयर वाके रोही पांचू उत्तरी तहसील नोखा जिला बीकानेर में स्थित है। सन् 1989-90 के दरम्यान द्वितीय सैटलमेन्ट की प्रक्रिया अमल में लाई गयी थी उक्त सैटलमेन्ट में भूमि दुबारा माप तौल व खेत की सीमाओं सम्बन्धी त्रुटियों का निवारण किया गया द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान भू-प्रबन्धक अधिकारियों के द्वारा गत खसराजात के नये खसरा नम्बर 1090, 1091, 1094 कायम किये गये तथा 119 बीघा कच्चा भूमि का नया माप रकबा 17.98 हैक्टेयर भूमि कायम करते हुवे सम्वत 2051 की जमाबन्दी कायम की गई। नया खसरा नम्बर 1090 का रकबा 7.12 हैक्टेयर जो नक्शा के अनुसार फीट व दुरुस्त है लेकिन खेत खसरा नम्बर 1091 का रकबा 7.51 हैक्टेयर जबकि नक्शा व मौका अनुसार 3.35 हैक्टेयर भूमि ही बैठती है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)



लगातार 2

राजस्व वाद संख्या 134/2018

1094 का रकबा 3.35 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित है लेकिन नक्शा व मौका अनुसार 7.51 हैक्टेयर भूमि बैठती है यानि खसरा नम्बर 1091 व 1094 का रकबा सहवन से आपस में अदला-बदली कर दिया गया। जिसे दुरुस्त करवाने हेतु श्रीमान् जी के समक्ष घोषणात्मक दावा दुरुस्ती का पेश है। वादगत भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा यानि 8.99 हैक्टेयर है जो खेत खसरा नम्बर 1094 तादादी 7.51 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 1091 तादादी दुरुस्त उपरान्त 3.35 हैक्टेयर मे से पूर्वी पासा की 1.48 हैक्टेयर पर काविज काश्त है इस भूमि का वादीनी खाता विभाजन करवाने हेतु दावा घोषणात्मक दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड मय खाता विभाजन का प्रस्तुत है। दिनांक 05/08/2018 को प्रतिवादी सं. 2 व दो-तीन अन्य नामालुम शख्स वादीनी के हिस्से में आई भूमि खेत खसरा नम्बर 1094 व 1091 का मौका मुआयना करने लगे तो इस पर वादीनी ने पूछा तो प्रतिवादी सं. 2 ने कहा कि उक्त शामलाती भूमि में मेरा हिस्सा 8.98 हैक्टेयर भूमि का बेचान का सौदा इन लोगों से कर लिया है। तुम दूसरी वाली भूमि की काश्त कर लो व रख लो। इस पर वादीनी द्वारा ऐसा करने की मनाही करने पर प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अतिशीघ्र ही अपने हिस्सा की भूमि का बेचान इन लोगों को कर देने की धमकी दी ये लोग तुम्हे जबरिया बेदखल कर देंगे। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप खेत खसरा नम्बर 1094 की भूमि खाली कर दो इस पर वादीनी द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि में अपने निहित हिस्सा भूमि का खाता विभाजन माननीय न्यायालय से करवाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी व नक्शा की प्रतिलिपियां ली तो उक्त खसरा नम्बर 1091 व 1094 के रकबा आपस में अदला बदली हो जाने की जानकारी हुई जिस पर पुरानी जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपियां लेकर प्रतिवादी सं. 1 से दिनांक 23.09.2018 को मिली तथा खेत खसरा नम्बर 1094 व 1091 हिस्सा कस्सी दुरुस्त करवाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा कहा कि सैटलमेन्ट प्रक्रिया का मामला है इसलिए तहसील स्तर पर उक्त मामला दुरुस्त नहीं हो सकता है इसलिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करो। यही तारीख विनाय दावा इन्कारी प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा इन्कार होना तथा प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा बिना दुरुस्ती करवाये व बिना विभाजन करवाये बेचान कर देने की धमकी देने के कारण वादीनी को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल हुआ है। वादीनी को प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा बिना विभाजन करवाये व वादीनी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी देने के कारण वादीनी के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी सं. 2 को चिर निषेधाज्ञा के आदेश से रोका जावे व सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु तथा प्रथम दृष्टया मामला वादीनी के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)



लगातार 3

राजस्व वाद संख्या 134/2018

है। प्रतिवादी सं. 2 वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है जिनके विरुद्ध अनुतोष चाहा गया है तथा प्रतिवादी सं. 1 भू-धारी राजस्थान राज्य है जो आवश्यक पक्षकार है यानि प्रतिवादी को पक्षकार बनाए जाने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन बिना विभाजन करवाये, बिना दुरुस्ती करवाये बेचान होने से राजस्व रिकार्ड संबंधी लिटिगेशनबढ़ने की प्रबल संभावना होने के कारण दावा बगैर नोटिस के दिया जा रहा है व धारा 80 सी.पी.सी. का अभिमुक्ति का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खसराजात वाके रोही पांचू उत्तरी तहसील नोखा स्थित है जो श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है लिहाजा वादपत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे। (क) कि वादगत संयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सैटलमेन्ट प्रक्रिया के दौरान लापरवाही के चलते की रिकार्ड में सहबन हुई त्रुटि से खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 7.12 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1091 रकबा 7.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 3.35 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17.98 हैक्टेयर वाके रोही पांचू उत्तरी के खसरा नम्बर 1091 का रकबा 7.51 हैक्टेयर की जगह 3.35 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1094 का रकबा 3.35 हैक्टेयर की जगह 7.51 यानि 1091 व 1094 का रकबा अदला बदली किए जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती कर अमलदरामद किए जाने की घोषणा की जावे। (ख) कि दुरुस्ती उपरान्त खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 7.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 7.51 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17.98 हैक्टेयर वाके रोही पांचू उत्तरी स्थित से पूर्व में हुए बाहमी विभाजन व कब्जा काश्त के अनुरूप 1/2 हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 1091 रकबा 3.35 हैक्टेयर में से पूर्वी पासा की 1.48 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1094 रकबा 7.51 हैक्टेयर कुल 8.99 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम की जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। (ग) कि चिर निषेधाज्ञा इस आषय की फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं. 2 उक्त दुरुस्ती एवं खाता विभाजन से पूर्व उक्त भूमि का बेचान नहीं करें, तथा भूमि के किसी विषिष्ट भू-भाग पर किसी अनजान व्यक्तियों से कब्जा नहीं करावे तथा वादगत भूमि को ताफैसला विक्रय रहन, बैय एवं अन्तरण आदि नहीं करें तथा ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे वादीनी के हितों पर विपरीत असर पड़ता हों।

हपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)



लगातार 4

राजस्व वाद संख्या 134/2018

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 9.5.2019 को प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल नाई ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पेशी दिनांक 26.06.2019 को पैरोकार राज ने बिन्दुवार जवाब दावा प्रस्तुत किया। पेशी दिनांक 22.8.2019 को वकील प्रतिवादी सं० 2 ने इकवालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया। आज पेशी दिनांक 11.12.2019 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 एवं 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी का नाम सुवा कंवर है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम सुवा बाई अंकित है जिसे दुरुस्त फरमाया जावे। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दिलाई गई। वकील प्रतिवादी सं. 2 ने निवेदन किया कि वादीनी का नाम संशोधित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वकील वादीनी ने अपने वाद पत्र के कथनों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादगत भूमि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 7.12 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1091 रकबा 7.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 3.35 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 17.98 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सैटलमेन्ट प्रक्रिया के दौरान लापरवाही के चलते की रिकार्ड में सहबन हुई त्रुटि से वाके रोही पांचू उत्तरी के खसरा नम्बर 1091 का रकबा 7.51 हैक्टेयर की जगह 3.35 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1094 का रकबा 3.35 हैक्टेयर की जगह 7.51 यानि 1091 व 1094 का रकबा अदला बदली किए जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती कर अमलदरामद किए जाने की घोषणा की जावे तथा दुरुस्ती उपरान्त खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 7.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 7.51 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 17.98 हैक्टेयर वाके रोही पांचू उत्तरी स्थित से पूर्व में हुए वाहमी विभाजन व कब्जा काश्त के अनुरूप 1/2 हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 1091 रकबा 3.35 हैक्टेयर में से पूर्वी पासा की 1.48 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1094 रकबा 7.51 हैक्टेयर कुल 8.99 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम की जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने के सादर आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)




लगातार 5

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया जिससे वादीनी का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं 151 जाब्ता दिवानी स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीनी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं 151 जाब्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वादीनी का नाम सुवा बाई के स्थान पर सुवा कंवर नाम संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार नोखा वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का अंकित नाम सुवा बाई के स्थान पर सुवा कंवर अंकित करें एवं वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 7.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 7.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 3.35 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17.98 हैक्टेयर भूमि के रिकार्ड में संशोधन किया जाता है कि वाके रोही पांचू उत्तरी के खसरा नम्बर 1091 का रकबा 7.51 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 3.35 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1094 का रकबा 3.35 हैक्टेयर के स्थान पर 7.51 हैक्टेयर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा साथ ही वादीनी का यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 7.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 7.51 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17.98 हैक्टेयर भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से के अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने एवं लगान पृथक-पृथक निर्धारण करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्च पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादी के कब्जे काश्त के अनुसार, वादीनी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।




(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

